

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 302
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

तमिलनाडु में पीएम-एसजीएमबीवाई

302. श्री मलैयारासन डी.:

श्री थरानिवेथन एम. एस.: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) शुरू की है;
- (ख) यदि हां, तो योजना के उद्देश्यों और लाभार्थियों के चयन संबंधी पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) तमिलनाडु के कल्लाकुरिची और अरानी लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित इसके अंतर्गत कवर किए जाने वाले संभावित लाभार्थियों की कुल संख्या और वे क्षेत्र जहां इसे लागू किया गया है या लागू किए जाने की संभावना है, का ब्यौरा क्या है;
- (घ) तमिलनाडु सहित संपूर्ण देश में योजना के अंतर्गत आवंटित निधि और इसके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है; और
- (ङ) योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा का समय पर और कुशल परिदान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): सरकार ने फरवरी, 2024 में पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की, जिससे सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने में सशक्त बनाया जा सके। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वित किया जाना है। योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सौर (आरटीएस) स्थापना हासिल करना।
- आरटीएस की स्थापना द्वारा 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- योजना के तहत स्थापित सौर क्षमता के माध्यम से 1 लाख करोड़ यूनिट की अक्षय विद्युत का उत्पादन करना, जिसके परिणामस्वरूप आरटीएस परियोजनाओं के 25 वर्षों के जीवनकाल के दौरान 72 करोड़ टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।
- देश में नियामक समर्थन, विनिर्माण सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला, वेंडर नेटवर्क, प्रचालन एवं रखरखाव सुविधाएं इत्यादि सहित आरटीएस परियोजनाओं के लिए आवश्यक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना।

- वर्ष 2026-27 तक आरटीएस के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता की स्थापना द्वारा यूएनएफसीसीसी में अपने एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) के माध्यम से हरित जलवायु की भारत की प्रतिबद्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना तमिलनाडु के कल्लाकुरिची और अरणी लोकसभा क्षेत्र के उपभोक्ताओं सहित देश के सभी आवासीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है और इस योजना के तहत लक्षित 1 करोड़ घरों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं है। आवासीय उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल <https://www.pmsuryaghar.gov.in> पर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं।

तमिलनाडु राज्य सहित योजना के अंतर्गत किए गए कुल पंजीकरणों, आवेदनों और स्थापनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ड) मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना करने के लक्ष्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- 10 वर्ष की अवधि के साथ 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता।
- स्थापनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रूफटॉप सौर संयंत्रों के विस्तृत विनिर्देश जारी किए गए हैं।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता और ऑटो लोड वृद्धि की छूट द्वारा विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त एवं योग्य वेंडर उपलब्ध हों।
- वेंडर रेटिंग प्रणाली के लिए फ्रेमवर्क विकसित की गई।
- नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
- कुशल जनबल (मैनपावर) का सृजन करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- योजना के विषय में जागरूकता लाने के लिए देश भर में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।
- विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी।
- राष्ट्रीय पोर्टल पर एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाला टूल विकसित किया गया है, जो उपभोक्ताओं और वेंडरों को अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।

‘तमिलनाडु में पीएम-एसजीएमबीवाई’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 302 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश भर में पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत किए गए पंजीकरणों, आवेदनों, स्थापनाओं की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (दिनांक 21.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	पंजीकरण (संख्या)	आवेदन (संख्या)	स्थापनाएँ (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	629,934	71,064	6,357
2	अरुणाचल प्रदेश	1,185	83	-
3	असम	1,733,942	265,683	2,659
4	बिहार	931,650	53,129	2,186
5	छत्तीसगढ़	228,979	24,507	720
6	गोवा	10,344	4,153	322
7	गुजरात	1,183,828	310,845	281,769
8	हरियाणा	434,114	146,693	13,853
9	हिमाचल प्रदेश	152,594	3,825	385
10	झारखंड	250,922	5,888	68
11	कर्नाटक	500,949	103,917	4,919
12	केरल	246,515	85,316	51,301
13	मध्य प्रदेश	526,469	42,884	17,942
14	महाराष्ट्र	1,601,338	481,206	120,696
15	मणिपुर	2,551	539	60
16	मेघालय	7,866	1,434	14
17	मिजोरम	2,981	547	47
18	नागालैंड	1,191	232	5
19	ओडिशा	1,267,637	74,710	984
20	पंजाब	117,735	9,608	3,506
21	राजस्थान	491,355	200,036	18,022
22	सिक्किम	421	27	1
23	तमिलनाडु	965,111	74,364	19,255
24	तेलंगाना	119,226	18,683	7,153
25	त्रिपुरा	9,894	963	76
26	उत्तर प्रदेश	2,223,461	534,529	51,313
27	उत्तराखंड	146,546	25,395	9,074
28	पश्चिम बंगाल	355,580	24,913	236
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	999	72	1
30	चंडीगढ़	4,700	878	271
31	दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	4,382	144	32
32	जम्मू और कश्मीर	288,129	8,160	288
33	लद्दाख	2,977	380	134
34	लक्षद्वीप	660	269	69
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22,966	6,504	1,879
36	पुडुचेरी	19,434	955	422
	कुल	14,488,565	2,582,535	616,019